

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प खेड़

हनुमानचन्द बनाम सरकार Rems....2018/01401

किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं ...623..... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.06.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हनुमानचन्द पुत्र लालाराम ने अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ तहसील पचपदरा में पेश किया जो विविध दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा जेरला की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 117 में अशुद्ध नाम हडमान पुत्र लालाराम दर्ज है। जिसको हनुमानचन्द पुत्र लालाराम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध व सही दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी खेड़ तथा तहसीलदार पचपदरा की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मौजा जेरला की जमाबन्दी खाता संख्या 117 में दर्ज अशुद्ध हडमान पुत्र लालाराम की जगह शुद्ध नाम हनुमानचन्द पुत्र लालाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।</p>	

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प.....2018.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 2018

--:आदेश:- 623/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 2018 व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 2072-75 की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 117 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	नेरला	117	हसमान पत्र लाकर राम	हसमान पत्र पत्र लाकर राम

(भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प
दिनांक :-

क्रमांक :- 1111 - 1112

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प